प्रेस नोट

दिनांक 22.01.2026

थाना बिवार पुलिस द्वारा अपहृता की सकुशल बरामदगी, अवैध तमंचा व कारतूस तथा मोटरसाइकिल के साथ अभियुक्त गिरफ्तार, ।

पुलिस अधीक्षक जनपद हमीरपुर के निर्देशन अपराध नियंत्रण व वांछित/ वारण्टी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में आज दिनांक 22.02.2026 को थाना बिवांर पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0 14/2026 धारा 140(1)/352/351(3) BNS में पतारसी–सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सूचना पर ग्राम महेरा जाने वाली रोड, बम्बा के पास से अपहृता को सकुशल बरामद किया गया। बरामद अपहृता के साथ मौके से अभियुक्त रिंकू उर्फ डूंगर राजपूत पुत्र सुभाष राजपूत (उम्र करीब 23 वर्ष) को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अदद तमंचा 315 बोर, एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया, जिसके संबंध में थाना स्थानीय पर अभियुक्त के विरुद्ध धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत विधिक कार्यवाही की गई।

इसके अतिरिक्त अभियुक्त द्वारा प्रयुक्त TVS अपाचे मोटरसाइकिल (बिना नंबर प्लेट) के वैध कागजात न होने पर धारा 207 मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत अलग से चालानी कार्यवाही की गई है। बरामदगी व गिरफ्तारी के आधार पर अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

बरामदगी का विवरण-

एक अदद तमंचा 315 बोर व एक अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर ।

एक अदद मोटरसाइकिल ।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त –

रिंकू उर्फ डूंगर राजपूत पुत्र सुभाष राजपूत निवासी ग्राम महेरा, थाना बिवार, जनपद हमीरपुर (उम्र करीब 23 वर्ष) ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम –

1. नि0 नन्दराम प्रजापति (प्र0नि0 थाना बिवांर)
2. उ0नि0 अंकित बैसला (थाना बिवांर)
3. का0 राजेश कुमार यादव (थाना बिवांर)
4. का0 आशीष कुमार (थाना बिवांर)
5. का0 हरिनन्दन सिंह (थाना बिवांर)
6. का0 उपेन्द्र पटेल (थाना बिवांर)
7. म0का0 ज्ञानमती (थाना बिवांर)